उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–2
संख्या– 56 / XXII(2) / 2019–34(सू0)2003टी.सी–II
देहरादूनः दिनांक : 06 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

"उत्तराखण्ड फिल्म (संशोधन) नीति–2019"

प्रस्तर 6(2) का संशोधन	1.	उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 (जिसे आगे मूल नीति कहा गया है), के प्रस्तर 6 (2)(ग) को निम्नवत प्रतिस्थापित करते हुए प्रस्तर 6 के उपप्रस्तर (2) के खण्ड (ड़), (च) तथा (छ) को विलोपित कर दिया जायेगा– "(ग) बंद छविगृहों को पुनर्जीवित करना : प्रदेश के 600 मीटर से ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में बन्द पड़े सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करते हुए उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम, 2017 के लागू होने की तिथि (01 जुलाई,2017) से जमा किये गये एस0जी0एस0टी0 का 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सिनेमाघर को की जायेगी।
प्रस्तर 7का संशोधन	2.	मूल नीति के प्रस्तर 7 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा– उत्तराखण्ड फिल्म विकास निधि : (क) सिनेमा टिकटों पर 01 रुपये प्रति टिकट की दर से फिल्म विकास निधि के रूप में सिनेमागृह स्वामियों द्वारा दर्शकों से वसूल करके प्रतिमाह कोषागार में जमा किया जायेगा। प्रति टिकट 01 रुपये पर टैक्स की देयता सम्बन्धित द्वारा कर विभाग को की जायेगी। फिल्म विकास निधि द्वारा उक्त निधि का उपयोग निम्न प्रकार से किया जायेगा– (i) क्षेत्रीय फिल्मों, हिन्दी भाषा एवं अन्य प्रदेशों की भाषा की फिल्मों को अनुदान उपलब्ध कराना। (ii) विलोपित कर दिया जायेगा। (iii) फिल्मों का वित्त पोषण। (iv) फिल्म पुरस्कार। (v) फिल्मों के लिए अवस्थापना का विकास। (vi) फिल्मोत्सव। (vii) छात्रवृत्ति हेतु। (viii) व्यवसायिक दृष्टिकोण से फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा किये जाने वाले टूर

		(Familiarisation Tour) हेतु वाहन/आवास/भोजन इत्यादि की व्यवस्था। (ix) फिल्म शूटिंग के उद्देश्य से फोटो/विडियों का निर्माण किया जाना। (x) राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय फिल्म समारोह हेतु शासन की अनुमति से स्पांसरशिप। (xi) फिल्म विकास परिषद द्वारा निर्धारित फिल्मों से संबंधित अन्य सभी कार्य। (xii) जमा किये गये उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) के निर्धारित अंश की अनुमन्यता के आधार पर प्रतिपूर्ति। फिल्म विकास निधि का संचालन उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। ''निधि के संचालन के लिए पृथक से नियमावली बनायी जायेगी। (ख) निधि की स्थापना हेतु हेतु आरम्भिक रुप से राज्य सरकार द्वारा रु. पांच करोड़ मात्र कारपस फण्ड/सीड मनी (Corpus Fund/Seed Money) के रुप में प्रदान किया जायेगा। (ग) विलोपित कर दिया जायेगा।
प्रस्तर 8का संशोधन	3.	मूल नीति के प्रस्तर 8 के खण्ड (क) तथा (च) को निम्नवत प्रतिस्थापित करते हुए खण्ड (झ) के पश्चात नये खण्ड (ञ) तथा (ट) जोड़ दिया जायेगा– ''(क) उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों पर फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक अनुमति की औपचारिकताओं को सिंगल विण्डो सिस्ट्म के माध्यम से सुगम बनाया जायेगा। सिंगल विंडो सिस्टम में ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किये जायेंगे। जिसमें सभी संबंधित विभाग ऑन लाइन संस्तुति सूचना विभाग को एक सप्ताह में प्रेषित करेंगे। तदोपरांत सूचना विभाग द्वारा ऑन लाइन अनुमति भी प्रदान की जायेगी। (च) उत्तराखण्ड में शूटिंग होने वाली फिल्मों के लिये शूटिंग शुल्क नहीं लिया जायेगा। सिंगल विंडो सिस्टम के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों द्वारा शूटिंग हेतु कोई अन्य शुल्क नही लिया जायेगा, वन विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित शूटिंग शुल्क को पूर्णतया: समाप्त समझा जायेगा। राज्य के शासकीय विभागों द्वारा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र के आधार पर संबंधित फिल्म निर्माता –निर्देशक से शूटिंग हेतु किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नही लिया जायेगा, परन्तु शूटिंग स्थल पर यदि पूर्व से ही कोई पार्किंग शुल्क, निर्धारित हो, तो फिल्म निर्माता द्वारा उसका वहन संबंधित को किया जायेगा। (ञ) उत्तराखण्ड राज्य से बाहर, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली जहां पर भी पर्यटन विकास परिषद के जनसंपर्क अधिकारी तैनात है, उन्हें फिल्म निर्माता–निर्देशकों से समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया जायेगा। (ट) फिल्मों की शूटिंग अवधि में पुलिस विभाग के संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से कम से कम 5 पुलिस कर्मी फिल्म निर्माता के अनुरोध पर शूटिंग अवधि तक निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। इससे अधिक संख्या में पुलिस कर्मी पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर

		उपलब्ध कराये जा सकते है। "
प्रस्तर 9का संशोधन	4.	मूल नीति के प्रस्तर 9 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा– **फिल्म इकाईयों के लिए आवासीय सुविधा** 'परिषद' द्वारा चयनित स्थलों पर लोक निजी सहभागिता के आधार पर आवासीय फिल्म काम्प्लेक्स बनाये जायेंगे, जिसमें उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा के साथ ही फिल्म तकनीशियनों एवं अन्य सहायक स्टॉफ के लिये भी आवासीय प्रबंध होगा। इन काम्प्लेक्सों के साथ ही फिल्म यूनिट के आवागमन के लिये लक्जरी बसों तथा उपकरण ढुलान के लिये ट्रकों आदि को आउटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। (क) गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमांयू मण्डल विकास निगम के सभी अतिथि गृहों में फिल्म यूनिटों को शूटिंग की अवधि में 50 प्रतिशत छूट पर आवासीय सुविधा अनुमन्य होगी एवं उक्त 50 प्रतिशत की धनराशि की प्रतिपूर्ति यथाप्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अधीन अन्य सभी विभागों के अतिथि गृहों में नियमानुसार भुगतान के आधार पर सुविधा उपलब्ध होगी।
प्रस्तर 11 का संशोधन	5.	मूल नीति के प्रस्तर 11 के खण्ड (ग)को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा– **मानव संसाधन का विकास एवं प्रोत्साहन** (ग) Film and Television Institute, Pune/Satyajit Ray Film and Television Institute Kolkata में प्रवेश लेने वाले राज्य के मूल निवासी छात्र–छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में रुपये 25000/–की अधिकतम छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
प्रस्तर 12 का संशोधन	6.	मूल नीति के प्रस्तर 12 में– (1) खण्ड (ग) को निम्नवत प्रतिस्थापित करते हुए प्रस्तर 12 के खण्ड (ड़) को विलोपित कर दिया जायेगा– **फिल्मों का वित्त पोषण:** (ग) उक्त उप समिति गुण–अवगुण के आधार पर वित्त पोषण चाहने वाली सभी व्यावसायिक फिल्मों की एक प्राथमिकता सूची तैयार करेगी तथा उपयुक्त फिल्मों हेतु वित्त पोषण करने के संबंध में निम्न शर्तों के अधीन विचार करेगी:– (i) फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग राज्य में की गयी हो। (ii) उक्त फिल्म के माध्यम से राज्य के प्रचार–प्रसार के संबंध में पारस्परिक सहमति से अनुबन्ध पत्र (M.O.U) बनाना होगा। (iii) सेंसर बोर्ड का प्रमाण–पत्र। (iv) उक्त वित्त पोषण फिल्म की निर्माण लागत का 30 प्रतिशत या 1.5 करोड़, जो भी कम हो, से अनधिक होगा। (2) खण्ड (घ) के पश्चात एक नया परन्तुक जोड दिया जायेगा– **परन्तु** यह कि परिषद के सभी गैर सरकारी सदस्यों/उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत न होने की स्थिति में फिल्म शूटिंग/निवेश संबंधी प्रस्तावों को फिल्म नीति

		के अन्तर्गत सुविधाएं/ अनुदान/ वित्त पोषण प्रदान किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड को प्राधिकृत किया जाता है। महानिदेशक, सूचना द्वारा फिल्म शूटिंग/निवेश संबंधी प्रस्तावों पर उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मा0 अध्यक्ष (मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
प्रस्तर 13 का संशोधन	7.	मूल नीति के प्रस्तर 13 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा– (क) क्षेत्रीय फिल्मों को कर में छूट – प्रदेश में क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण परिषद का गठन किया जायेगा। इससे उत्तराखण्ड में निर्मित फिल्में विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। प्रमाणीकरण के पश्चात क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित क्षेत्रीय फिल्मों को उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम, 2017 के लागू होने की तिथि (01 जुलाई, 2017)से जमा किये गये एस0जी0एस0टी0 का 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इससे क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्रीय फिल्मों का विकास होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर होंगे। उत्तराखण्ड फिल्म प्रमाणीकरण परिषद का गठन राज्य फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। उत्तराखण्ड के क्षेत्रीय फिल्मों का सेंसर सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद उत्तराखण्ड के सिनेमागृहों व मल्टीप्लेक्स स्वामियों द्वारा क्षेत्रीय भाषा की फिल्म को प्रतिदिन, एक सप्ताह तक व्यवसायिक Terms पर अनिवार्य रूप से दिखाया जाना आवश्यक होगा। (ख) एन.सी.वाई.पी. द्वारा निर्मित बाल फिल्मों को भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को बिना पूर्व प्रदर्शन के उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम,2017 के लागू होने की तिथि (01 जुलाई,2017)से जमा किये गये एस0जी0एस0टी0 के 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति संबंधित को की जायेगी। (ग) फिल्म निर्माण से संबंधित उपकरणों यथा, कैमरा, क्रेन, ट्रॉली, रिफलेक्टर, जनरेटर, स्टार्म फैन, ध्वनि व प्रकाश उपकरणों पर उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम,2017 के लागू होने की तिथि (01 जुलाई,2017) से पाँच वर्ष तक जमा किये गये एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति संबंधित को निधि द्वारा की जायेगी। (घ) जिन फिल्मों की 75 प्रतिशत शूटिंग अथवा कुल आउटडोर शूटिंग दिवसों के आधे से अधिक शूटिंग उत्तराखण्ड राज्य में हुई हो उन्हें गुण–दोष के आधार पर फिल्म विकास परिषद द्वारा पूर्व प्रदर्शन के उपरान्त उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम,2017 के लागू होने की तिथि (01 जुलाई, 2017) से जमा किये गये एस0जी0एस0टी0 के 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति संबंधित को की जायेगी।

प्रस्तर 19 का संशोधन	8.	मूल नीति के प्रस्तर 19 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा– **उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (Uttarakhand Film Development Council)** उत्तराखण्ड फिल्म नीति के अन्तर्गत एक राज्य फिल्म विकास परिषद का गठन किया जायेगा, जिसका नाम उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद होगा। परिषद में अधिकतम 18 सदस्य होंगे। उक्त परिषद का स्वरूप निम्नानुसार होगाः–

1	मा0 मुख्यमंत्री अथवा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकृत सूचना मंत्री	अध्यक्ष	01
2	फिल्म/कला/संस्कृति क्षेत्र के फिल्म विशेषज्ञ	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	01
3	उत्तराखण्ड क्षेत्र के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि/ समाजसेवी/ क्षेत्रीय अथवा हिन्दी भाषा की फिल्मों के विशेषज्ञ	उपाध्यक्ष	01
4	उत्तराखण्ड राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों व अन्य हिन्दी फिल्मों से जुड़े फिल्मकार/लाईन प्रोडयूसर/सिनेमा एक्जीब्यूटर/विषय विशेषज्ञ (नामित)	सदस्य	07
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
6	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
7	प्रमुख सचिव / सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
8	प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
9	प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
10	प्रमुख सचिव, नागरिक उडड्यन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
11	प्रमुख सचिव वन/प्रमुख वन संरक्षक	सदस्य	01
12	महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01

(क) परिषद गठन हेतु वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री जी को होगा।

(ख) परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नामित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

(ग) अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों के साथ परिषद का कोरम पूर्ण माना जायेगा।

(घ) "फिल्म विकास परिषद में नामित गैर सरकार सदस्यों के योगदान/कार्यों की

		संतोषजनक स्थिति का फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष (मा. मुख्यमंत्री) द्वारा समय–समय पर मूल्यांकन किया जा सकेगा तथा किसी भी स्तर पर उक्त संबंध में असंतोषजनक स्थिति पर बिना पूर्व सूचना के उक्त सदस्यता समाप्त किये जाने का निर्णय मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया जा सकेगा।''

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 56 /XXII(2)/2019–34(सू0)2003टी.सी–II, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3– समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव गोपन(मंत्रिपरिषद)अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6– महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– महानिदेशक, पर्यटन, उत्तराखण्ड।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(मंगल सिंह बिष्ट)
उप सचिव।